# राजस्थान सरकार
# विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(32)न्याय/1999 जयपुर, दिनांक 29.9.2020

**:: आज्ञा ::**

श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री महेश चन्द गौड़ को दिनांक 30.09.2020 के अपराह्न पश्चात् से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.09.2020 द्वारा प्रदान की गई।

श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उन्होंने मानसिक तनाव में आकर यह कदम बिना सोच विचार कर स्वेच्छिक सेवानिवृति हेतु आवेदन किया है, इस कारण से स्वेच्छिक सेवानिवृति आदेश 22.09.2020 को वापिस लेते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी के आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2020 के क्रम में इस विभाग के स्वेच्छिक सेवानिवृति आदेश दिनांक 22.09.2020 को निरस्त किया जाता है।

**आज्ञा से,**

29.9.2020

**(पुरूषोत्तम लाल सैनी)**
**संयुक्त शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. पंजीयक, कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
4. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्री महेश चन्द गौड़, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

29.9.2020

**संयुक्त शासन सचिव**

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx